भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1759** जिसका उत्तर

शुक्रवार, **16 दिसम्बर**, 2022/25 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है

जलमार्गों को बढ़ावा देने हेतु योजना

†1759. श्री एस. आर. पार्थिबन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के लिए सरकार द्वारा कितनी निधि आबंटित और व्यय की गई है;

(ग) सरकार द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा जलमार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इस बात को ध्यानगत रखते हुए कि देश में 25 राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा की गई है, राष्ट्रीय जलमार्गों पर शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 24 राज्यों में फैले 111 जलमार्गों (मौजूदा 5 और 106 नए सहित) को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए पूरी की गई अध्ययन रिपोर्टों के परिणामों के आधार पर 26 व्यवहार्य पाए गए राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए नौवहन एवं नौचालन के विकास हेतु कार्रवाई योजना तैयार की गई है जोकि **अनुबंध-1** में विस्तृत रूप से प्रदान की गई है। इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 5520 करोड़ रु. के मूल्य वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(घ) और (ङ): राष्ट्रीय जलमार्गों के क्षमता संवर्धन के लिए, 14 राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्य शुरू किए गए हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-2** में प्रदान किया गया है।

अनुबंध-1

कार्गो/यात्री आवाजाही के लिए व्यवहार्य पाए गए 26 राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) की सूची

क्र.सं.	रा.ज.	जलमार्गों का ब्यौरा	लंबाई (कि.मी.)	राज्य	स्थिति
1.	रा.ज.-1	गंगा -भागीरथी -हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया - इलाहाबाद)	1620	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक की **जल मार्ग विकास परियोजना** के अंतर्गत प्राप्त सहायता के माध्यम से विकास कार्य किए गए
2.	रा.ज.-2	ब्रह्मपुत्र नदी (ढुबरी-सादिया)	891	असम	वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के संदर्भ में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार विकास कार्य किए गए।
3.	रा.ज.-16	बराक नदी (लखीपुर-टुकर ग्राम)	121	असम	
4.	रा.ज.-3	वेस्ट कोस्ट नहर (कोट्टापुरम-कोल्लम), चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर	205	केरल	अधिकांशत:, प्रचालनात्मक जलमार्ग तथा विकास एवं रखरखाव संबंधी कार्य किए गए।
5.	रा.ज.-4	कृष्णा नदी (विजयवाड़ा-मुक्तयाला)	82	आंध्र प्रदेश	
6.	रा.ज.-5	मंगलागढ़ी से पानकापल से होते हुए धामरा-पारादीप	233	ओडिशा	
7.	रा.ज.-8	अलप्पुझा -चंगनसेरी नहर	29	केरल	
8.	रा.ज.-9	अलप्पुझा -कोट्टायम -अथिरमप्पुझा नहर	40	केरल (वैकल्पिक मार्ग: 11.5 कि.मी.)	
9.	रा.ज.-27	कंबरजुआ नदी (कोर्टालिम-फेरी से साओ मार्शियस विधान परिषद)	17	गोवा	
10.	रा.ज.-68	मांडोवी नदी (उसगांव ब्रिज से अरब सागर)	41	गोवा	
11.	रा.ज.-86	रूपनारायण नदी (प्रतापपुर से जियोनखाली)	72	पश्चिम बंगाल	
12.	रा.ज.-97	सुंदरबन जलमार्ग (नामखाना से अथाराबंकी खाल)	172	पश्चिम बंगाल	

13.	रा.ज.-111	जुआरी नदी (सैनवोर्डेन ब्रिज से मुरगांव पत्तन)	50	गोवा	
14.	रा.ज.-40	घाघरा नदी (फैजाबाद से मांझीघाट)	345	बिहार और उत्तर प्रदेश	
15.	रा.ज.-10	अंबा नदी (अरब सागर, धर्मतार क्रीक से नागोठाणे एसटी स्टैंड)	45	महाराष्ट्र	प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी) द्वारा चरण-I के विकास कार्य के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।
16.	रा.ज.-44	इच्छामती नदी (गोबरा के ब्रिज से बांग्लादेश सीमा के निकट बांसझारी)	63	पश्चिम बंगाल	
17.	रा.ज.-52	काली नदी (कडसल्ली बांध से सदाशिवगड ब्रिज, अरब सागर)	53	कर्नाटक	
18.	रा.ज.-57	कोपिली नदी (बनठई गांव तिनाली बस स्टॉप से चंद्रपुर नं-2 पर ब्रह्मपुत्र के संगम स्थल तक)	50	असम	
19.	रा.ज.-25	चपौरा नदी (मनेरी गांव के निकट ब्रिज से मोरजिम, अरब सागर)	25	गोवा	
20.	रा.ज.-37	गंडक नदी (भैसालोटल बराज से हाजीपुर)	296	बिहार और उत्तर प्रदेश	
21.	रा.ज.-28	दाभोल क्रीक वशिष्टी नदी (दाभोल में अरब सागर से पेढ़े के पुल तक)	45	महाराष्ट्र	
22.	रा.ज.-73	नर्मदा नदी (पंढरिया से खंभात की खाड़ी तक)	226	महाराष्ट्र और गुजरात	
23.	रा.ज.-85	रेवदांडा क्रीक -कुंडलिका नदी प्रणाली (रेवदांडा में अरब सागर से रोहा नगर के निकट ब्रिज तक)	31	महाराष्ट्र	
24.	रा.ज.-94	सोन नदी (सोन बराज डेहरी से गंगा के संगम स्थल तक)	141	बिहार	
25.	रा.ज.-100	तापी नदी (हटनूर डैम से खंभात की खाड़ी तक)	436	महाराष्ट्र और गुजरात	
26.	रा.ज.-31	धनसीरी नदी (मोरोंगी टीई गांव के पुल से नुमलीगढ़ तक)	110	असम	

अनुबंध-2

राष्ट्रीय जलमार्गों पर किए गए कार्यों का विवरण

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्यों
1	राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (वाराणसी-हल्दिया जलखंड, 1390 कि.मी.) पर जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) एमएमटी वाराणसी (उत्तर प्रदेश) एमएमटी साहिबगंज (झारखंड) एमएमटी हल्दिया (पश्चिम बंगाल) फरक्का (पश्चिम बंगाल) में नए नौचालन लॉक गेट आईएमटी कालूघाट (बिहार) सामुदायिक जेट्टियों का विकास फेयरवे विकास
2	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-2:** रा.ज.-2 पर किए गए निम्नलिखित कार्य: i. रा.ज.-2 के लिए फेयरवे विकास ii. रा.ज.-2 के रो-रो मार्गों पर ड्रेजिंग के लिए फेयरवे विकास iii. मौजूदा टर्मिनलों (स्थायी तथा फ्लोटिंग का प्रचालन और रखरखाव) iv. जोगीघोपा टर्मिनल v. बोगीबील, डिब्रूगढ़ (नया घटक) में कार्गो सह यात्री टर्मिनल का निर्माण vi. बी. जी. साइडिंग के लिए लाइसेंस शुल्क vii. पांडु, नेमाती और नागाघुली में आईडब्ल्यूएआई के भूखंडों पर चाहारदीवारी viii. ढुबरी टर्मिनल के लिए अध्ययन तथा भूमि अधिग्रहण को शामिल करते हुए मौजूदा एप्रोच रोड का सुधार ix. भूमि अधिग्रहण सहित पांडु से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण एवं संपर्कता x. नौचालन सहायताओं का परिचालन एवं रखरखाव xi. डिब्रूगढ़ तक नौचालन सहायताओं का विस्तार xii. डीजीपीएस स्टेशनों/आरआईएस का प्रचालन और रखरखाव xiii. पांडु में पोत मरम्मत सुविधा का विकास xiv. जलयानों का रखरखाव xv. ड्राई डॉकिंग मरम्मतों सहित जलयानों/ड्रेजरों का प्रचालन xvi. परामर्शदात्री, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन, आवधिक मूल्यांकन, विविध सामाग्रियां एवं कंटिंजेंसी (एनईआर) xvii. एनईआर के लिए ई-पोर्टल का विकास एवं रखरखाव xviii. मार्ग पत्तन (रा.ज.-2) पर सुविधाएं

3	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-16 और आईबीपी मार्ग** राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-16 और आईबीपी मार्ग पर निम्नलिखित कार्य किए गए: i. गुमटी नदी पर सोनमुरा में टर्मिनल का निर्माण ii. गंगा नदी पर मैया में टर्मिनल का निर्माण और iii. बदरपुर और करीमगंज टर्मिनलों का उन्नयन, जो विचाराधीन है iv. फेयरवे विकास v. नौचालन एड्स के ओएंडएम vi. परामर्श संबंधी प्रशिक्षण vii. कार्गो प्रोत्साहन, और viii. पोर्ट ऑफ कॉल पर सुविधाएं आदि
4	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-3** (वेस्ट कोस्ट नहर, चंपाकरा एवं उद्योगमंडल नहर) • 24 घंटे नौचालन एवं टर्मिनल सुविधाओं के लिए फेयरवे उपलब्ध करने हेतु रा.ज.-3 में चैनल विकास कार्य • कोट्टापुरम, अलुवा, मराडू, वाइकोम, थानिर्मुक्कोम (चेयरथला), अलाप्पुझा, कायमकुलम, श्रीकुनाप्पुझा और कोलम में 09 स्थायी टर्मिनलों का निर्माण • श्रीकुनाप्पुझा में नए नौचालन लॉक का निर्माण • कोविलथोटम में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण। रा.ज.-3 पूरी तरह से नौगम्य है।
5	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-4** (कृष्णा नदी (विजयवाडा-मुक्तयाला)): अब तक पूरी की गई परियोजनाओं में कृष्णा नदी के विजयवाड़ा-मुक्तयाला जलखंड पर फेयरवे विकास कार्य, 4 फ्लोटिंग पोंटूनों का निर्माण/ संस्थापना और हर्षचन्द्रपुरम में रो-रो टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण शामिल है। इब्राहिमपट्टणम और मुक्तयाला में रो-रो टर्मिनल के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य आंध्र प्रदेश राज्य के साथ आरंभ किया गया है।
6	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-5** (पानकापल - धामरा पत्तन - मंगलगढ़ी - पारादीप पत्तन): (i) क्रॉस ढांचों/पुलों (212 कि.मी.) की गहराई और होरिजोंटल/वर्टिकल क्लियरेंस का आकलन करने हेतु मासिक लोंगिट्यूडनल थलवेग सर्वेक्षण। (ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श/ कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद हाइड्रॉलिक इंटरवेंशन के लिए फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन (एफईईडी), नौचालन क्लियरेंस के लिए क्रॉस ढांचों में संशोधन किया गया। सीआरजेड तथा वन्य जीव क्लियरेंस को शामिल करते हुए पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईआईए एंड ईएमपी) - एमओईएफएंडसीसी ने 05 जनवरी, 2021 को सूचित किया कि

		पर्यावरण संबंधी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ओडिशा सरकार से केवल सीआरजेड और वन्य जीव संबंधी क्लियरेंस प्राप्त किया जाना है। • ओडिशा सरकार के माध्यम से लाइनों मौजूदा पावर से नीचे धामरा/पारादीप से पानकापल तक जमा आधार पर नौचालन क्लियरेंस पूरा होने वाला है। • रा.ज.-64 (महानदी) पर आईएफएफओ रिवरीन जेट्टी से पारादीप पत्तन (रा.ज.-5) तक जिप्सम की आवाजाही शुरू हो गई। 31 अक्तूबर, 2022 तक लगभग 1,55,181 एमटी जिप्सम भेजा जा चुका है। इससे आईएफएफसीओ प्लांट पर जिप्सम का विशाल संचय (लगभग 52 मिलियन एमटी) साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और बिहार में गंगा-हुगली नदी प्रणाली के निकट अल्ट्राटेक के संयंत्रों में जिप्सम के परिवहन हेतु आईडब्ल्यूएआई और अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। • पारादीप और धामरा के पत्तनों को कलिंगनगर - तलचर खदान एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक जोड़ने के लिए पीपीपी (डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण - डीबीएफओटी मोडल) के अंतर्गत ब्राह्मणी (रा.ज.-5) तथा महानदी (रा.ज.-64) नदियों पर जलमार्ग परिवहन के विकास के लिए एक ईओआई (रुचि की अभिव्यक्ति) प्रकाशित की गई है।
7	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-8** (अलाप्पुझा - चंगनसेरी नहर): डीपीआर की अनुशंसाओं के अनुसार विकास कार्य प्रस्तावित। महत्वपूर्ण स्थानों पर 24 घंटे नौचालन संबंधी सुविधाएं (15 नं.) प्रदान की गई हैं और उनका रख-रखाव किया जा रहा है।	
8	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-9** (अलाप्पुझा-कोट्टायम- अथिरमपुझा नहर): वर्ष 2017-18 में 1.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग का विकास कार्य शुरू किया गया है। रात्रि में नौचालन संबंधी सुविधाओं (25 कुल) का संस्थापन तथा रखरखाव किया गया है।	
9	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-27** कंबरजुआ नदी	गोवा के राष्ट्रीय जलमार्ग गोवा सरकार, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण और आईडब्ल्यूएआई के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रचालनरत हैं। गोवा में 22.65 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास कार्य शुरू किया गया है। मांडोवी और चपोरा नदी पर 11.33 करोड़ रु. की राशि से 4 फ्लोटिंग जेट्टियों को स्थापित करने का कार्य शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, नौचालन संबंधी सुविधाएं लागू करने हेतु मुरगांव पत्तन प्राधिकरण को दिनांक 02.04.2022 को 6.84 करोड़ रु. की
10	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-68** मांडोवी नदी	
11	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-111** जुआरी नदी	

		राशि जारी की गई है। वर्ष 2023-24 तक 15 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।
12	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-40** (घाघरा नदी - अयोध्या से घाघरा-गंगा संगम): बैंडेलिंग और डे चैनल मार्किंग, फ्लोटिंग टर्मिनलों के निर्माण और मासिक सर्वेक्षणों द्वारा फेयरवे के विकास हेतु 11.60 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान, जलमार्ग के चरण-I के तहत विकास के लिए 4.46 करोड़ रुपए के लागत वाली एक योजना स्वीकृत की गई है।	
13	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-86 (**पश्चिम बंगाल में रूपनारायाण नदी (प्रतापपुर से जियोनखाली): 24.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग का विकास कार्य शुरू किया गया है। सिंचाई विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा 15.45 करोड़ रु. की लागत पर राष्ट्रीय राजमार्ग से कोलाघाट पर वाटरफ्रंट तक सड़क का सुधार कार्य निष्पादित किया जा रहा है। फ्लाईऐश कार्गो के लदान और उतराई संबंधी सुविधाओं के लिए फ्लोटिंग पोंटून जेट्टी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कोलाघाट में स्थायी टर्मिनल के लिए, भूमि अधिग्रहण कार्य जून, 2022 में पूरा किया गया है और वार्षिक योजना के माध्यम से विकास कार्य करने पर विचार किया जा रहा है।	
14	**राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-97 (**पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जलमार्ग (नामखाना से अथाराबंकी खाल): 18.10 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग का विकास कार्य शुरू किया गया है। नैवीगेशनल मार्क/बॉय प्रदान किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है। यह जलमार्ग, भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का हिस्सा है और जलयानों के लिए पहले से ही प्रचालनरत है।	

*****